

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2021/एफसीए/प्रमुखसं/5402-03 दिनांक 24-03-2023

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर।
2. उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय:-Diversion of 0.9885 ha . of forest land in favour of PUBLIC WORKS DEPARTMENT RAJASTHAN for " Construction of Road from NH - 8 KM Stone No - 181 (Aantela) to SH - 08A (Khachriyawas - Kalyanpura Renwal) KM 0/00 to 13/00 , Tehsil - Viratnagar , District -Jaipur (Rajasthan)" (Proposal no. FP/RJ/ROAD/144437/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1491 दिनांक 10.03.2023 एवं उप वन संरक्षक जयपुर उत्तर के पत्र क्रमांक 2569 दिनांक 02.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना पूर्ण नहीं है। भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना अपेक्षित है:-

1. बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण है प्राप्त पालना में सडक निर्माण वन भूमि में वर्ष 1992-94 में बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं मानने का क्या कारण है, स्पष्ट नहीं है।
2. बिन्दु संख्या 2 की पालना उप वन संरक्षक द्वारा नहीं की गयी है।

उक्त बिन्दुओं की पालना के संबंध में उप वन संरक्षक को कार्यालय में जानकारी दे दी गयी है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीय,



(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर